

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.मे.)अवकाश / 1196 /2021

दिनांक 28.05.2021

श्री अनिल कुमार गुप्ता, (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II को दिनांक 06.05.2021 से 19.05.2021 तक 14 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) दिनांक 20.05.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी, राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/11/1998/ 3397-

दिनांक 28.05.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 502 दिनांक 21.05.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II
4. पीठासीन अधिकारी, राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर।


सहायक रजिस्ट्रार